REGD. NO. D. L.-33004/99



HRGAzette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 806] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931 No. 806] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1290(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं. 9 [215.8 कि.मी. से 266.4 कि.मी. (नंदीगामा से विजयवाड़ां)] सं. 16,	आंध्र प्रदेश राज्य
	[205.0 कि.मी. से 235.0 कि.मी. (चेन्नूर से अर्जुनगुट्टा)] सं. 18 [167.750 कि.मी. से 356.502	सरकार ।"
	कि.मी. (कडप्पा से कुरनूल)], सं. 43, सं. 63 सं. 202, सं. 205, सं. 214 और सं. 214क, सं. 219,	
	सं. 221 और सं. 222 जो आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग हैं।	

[फा. सं. एन एच-14013/3/2009-पी एण्ड एम] प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पणः— मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 218(अ) तारीख 20 जनवरी, 2009 द्वारा किए गए थे।

1905 GI/2009

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2009

S.O. 1290(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

(1)	(2)	(3)
· "1	So much of National Highways No. 4, No. 9 [excluding from Km. 215.8 to Km. 266.4	
	(from Nandigama to Vijayawada)], No. 16 [excluding from Km. 205.0 to Km. 235.0	State Government of
. *	(from Chennur to Arjungutta)], No. 18 [excluding from Km. 167.750 to Km. 356.502	Andhra Pradesh."
	(Kadapa to Kurnool)], No. 43, No. 63, No. 202, No. 205, No. 214 and No. 214A,	•
	No. 219, No. 221 and No. 222 as are situated within the State of Andhra Pradesh.	

[F. No. NH-14013/3/2009-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note:— The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 218(E), dated the 20th January, 2009.

अधिसूचनाः

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1291(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भुखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी				
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सेक्शन	भूखंड किलोमीटर में		
(1)	(2)	(3)		
18	कड्प्पा से कुरनूल आंध्र प्रदेश राज्य में	- 167.750 कि.मी. से 356.502 कि.मी. तक		
		फा. सं. एन. एच-14013/3/2009-पी एंड एम		

ਧੁੰਘੁਲ੍ਹ ਤੁਧੂ-ਸ਼ੁਜਿਰ

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2009

S.O. 1291(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, hereby entrusts the stretche as specified in column (3) of the Table below, of the Section as specified in column (2) of the said Table, of the National Highway as specified in column (1) of the aforesaid Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number		Section	Stretche in Kilometer	
(1)		(2)	(3)	
18		Kadapa to Kurnool in the State of Andhra Pradesh	From Km. 167.750 to Km. 356.502	
			[F. No. NH-14013/3/2009-P&M]	

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.